# न्यायालय, राजस्व परिषद, उत्तराखण्ड़, देहरादून।

1–निगरानी संख्या– 112/2011–12 अन्तर्गत धारा–219 भू0रा0अधि0

1– विक्रम दत्त शर्मा, 2. किशोर कुमार शर्मा पुत्रगण स्व0 शम्भूनाथ, निवासीगण नया नं0–413, पुराना नं0–297 सी, डाकरा बाजार, गढ़ीकैन्ट, देहरादून।

बनाम

हंसराज शर्मा पुत्र स्व0 शम्भूनाथ, निवासी– नया नं0–413, पुराना नं0–297 सी, डाकरा बाजार, गढ़ीकैन्ट, देहरादून।

उपस्थित : श्री पी0एस0जंगपांगी, सदस्य(न्यायिक)।

अधिवक्ता निगरानीकर्तागण : अनुपस्थित।

अधिवक्ता उत्तरदाता : अनुपस्थित।

## निर्णय।

यह निगरानी निगरानीकर्तागण उपरोक्त ने विद्वान नायब तहसीलदार, देहरादून द्वारा वाद संख्या–1871 वर्ष 2008 हंसराज शर्मा बनाम शम्भूनाथ में पारित आदेश दिनांक 08–01–2010 के विरूद्ध प्रमुखतः इन आधारों पर प्रस्तुत की गई है कि निगरानीकर्तागण व उत्तरदाता के पिता शम्भूनाथ वादग्रस्त भूमि खाता खतौनी संख्या 00140 खसरा नं0 5/2 क्षेत्रफल 0.077 है0 स्थित मौजा गोरखपुर माफी, परगना केन्द्रीयदून, जिला देहरादून के एकमात्र स्वामी, मालिक व काबिज अध्यासी थे, कि दिनांक 12–11–2003 को शम्भूनाथ की मृत्यु हो गई, इससे पूर्व उनके पिता ने वादग्रस्त भूमि को मौखिक रूप से अपने तीनो पुत्रों को बराबर हिस्से में विभाजित कर सौंप दिया था, कि शम्भूनाथ की पत्नी का उनके जीवनकाल में ही निधन हो गया था, कि शम्भूनाथ की मृत्यु के उपरान्त निगरानीकर्तागण एवं उत्तरदाता वादग्रस्त भूमि पर संयुक्त रूप से सहखातेदार, काबिज व अध्यासी हुए, कि सम्पत्ति की कीमत बढ़ने के कारण उत्तरदाता के मन में खोट आ गया तथा वह भूमि व मकान हड़पने के लिए निगरानीकर्तागण को अनेक प्रकार से परेशान करने लगा, कि उत्तरदाता द्वारा बार–बार परेशान करने की वजह से ही निगरानीकर्तागण ने वादग्रस्त सम्पत्ति पर निषेधाज्ञा हेतु एक वाद सिविल जज (जू0डि0) देहरादून के समक्ष प्रस्तुत किया तथा निगरानीकर्तागण के पक्ष में स्थगन आदेश प्राप्त हुआ है, कि निगरानीकर्तागण जब वादग्रस्त भूमि की फर्द लेने तहसील में गया तो पता चला कि उत्तरदाता ने धोखे से वादग्रस्त भूमि की वसीयत बनाकर नायब तहसीलदार, देहरादून के न्यायालय में वसीयत के अनुसार एकपक्षीय रूप से नामान्तरण की

कार्यवाही करा ली गई है, कि नामान्तरण आदेश दिनांक 20–03–2009 के विरूद्ध निगरानीकर्ता ने पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो आदेश दिनांक 08–01–2010 से निरस्त किया गया। इसी आदेश के विरूद्ध वर्तमान निगरानी निदेशित है।

इस निगरानी में विगत 4–5 तिथियों से कोई भी पक्षकार उपस्थित नही हो रहा है। तद्नुसार उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर इसका निस्तारण किया जा रहा है।

मूल नामान्तरण पत्रावली के अवलोकन पर यह तथ्य सामने आया है कि जिस वसीयत के आधार पर वादग्रस्त भूमि की नामान्तरण सूचना नायब तहसीलदार, देहरादून के समक्ष प्रस्तुत की गई है उस पर कोई उद्घोषणा जारी नही की गई है न ही निगरानीकर्तागण जो कि नामान्तरण प्रार्थी के सगे भाई हैं उनको ही इसकी प्रति तामील कराई गई है। नामान्तरण की कार्यवाही में उद्घोषणा जारी करना तथा उसकी विधिवत तामीली एवं उसकी एक प्रति सहखातेदारों पर तामील किया जाना एक आज्ञापक प्राविधान है जिसका पालन किया जाना विधितः अनिवार्य है। उद्घोषणा जारी किये बिना सम्पन्न की गई नामान्तरण की सम्पूर्ण कार्यवाही शून्य है तथा निगरानी इसी आधार स्वीकार होने योग्य है।

विद्वान नायब तहसीलदार ने उनके समक्ष प्रस्तुत पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र का निस्तारण मात्र इस आधार पर किया है कि उनके द्वारा पूर्व में निगरानीकर्तागण को सुनवाई का अवसर प्रदान किये पारित नामान्तरण आदेश उचित है जो कि प्रत्यक्षतः त्रुटिपूर्ण है। निगरानीकर्तागण को सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक था। पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र का निस्तारण पूर्व में पारित नामान्तरण आदेश के औचित्य के आधार पर किया जाना अनुचित था। सुनवाई का अवसर देकर ही नामान्तरण आदेश नये सिरे से पारित किया जाना चाहिए था। इस तरह से भी निगरानी स्वीकारणीय है।

यह भी संज्ञान में आया है कि कथित वसीयत के दो साक्षीगणों विष्णुप्रसाद गुप्ता एवं अनूप सिंह रावत में से मात्र अनूप सिंह रावत का ही साक्ष्य/परीक्षण करवाया गया है जबकि दूसरे गवाह का साक्ष्य/परीक्षण नहीं कराया गया है न ही इस सम्बन्ध में कोई ऐसा तथ्य उल्लिखित किया गया है कि दूसरे गवाह विष्णुप्रसाद गुप्ता का साक्ष्य परीक्षण क्यों नही करवाया गया है। वसीयत के आधार पर प्रारम्भ की गई नामान्तरण की कार्यवाही में साक्षीगण द्वारा वसीयत सिद्ध कराया जाना विधिक रूप से अनिवार्य है। तद्नुसार भी निगरानी स्वीकारणीय है। आक्षेपित आदेश दिनांक 08–01–2010 तथा मूल नामान्तरण आदेश दिनांक 20–03–2009 एवं नामान्तरण की कार्यवाही उद्घोषणा के स्तर से अपखण्डित होने योग्य है तथा नामान्तरण की कार्यवाही उद्घोषणा के स्तर से पुनः सम्पन्न किया जाना विधितः अनिवार्य है।

## आदेश

निगरानी स्वीकार कर नामान्तरण की कार्यवाही अपखण्डित (quash) की जाती है एवं नामान्तरण प्रकरण विद्वान नायब तहसीलदार, सदर देहरादून को इस निर्देश के साथ

प्रति प्रेषित किया जाता है कि वे नामान्तरण प्रकरण में नियमानुसार उद्घोषणा जारी कर इसकी तामीली सभी सम्बन्धित पर विधिवत रूप से करने के उपरान्त ही इसका विधिसम्मत निस्तारण करें। अवर न्यायालय की पत्रावली वापस तथा इस न्यायालय की पत्रावली संचित हो।

(पी0एस0जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)

आज दिनांक 11–04–2018 को खुले न्यायालय में उद्घोषित, हस्ताक्षरित एवं दिनांकित।

(पी0एस0जंगपांगी)
सदस्य(न्यायिक)